अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सरकार को नीतिगत योजना और निर्णय क्षमता सहित अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण

4.1.1 ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाराशियों के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज युक्त जमा राशियों और आरक्षित निधियों की राशि पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार की आरक्षित निधियों के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) और राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ) के सापेक्ष ब्याज देयता है जैसा कि नीचे **तालिका-4.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका-4.1: ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज युक्त जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज[1]	ब्याज की राशि जिसका भुगतान किया गया
1.	मुख्यशीर्ष 8121-122 के अन्तर्गत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)	2.27	औसत डब्ल्यूएमए से दो *प्रतिशत* ऊपर (6.5% +2%) अर्थात 8.50 *प्रतिशत* (एस डी आर एफ के दिशानिर्देशों के अनुसार)	5.28	-

[1] वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियों के माध्यम से जी ए विंग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंत में प्रगतिशील शेष के आधार पर देय ब्याज की गणना की गई है।

क्र. सं.	ब्याज युक्त जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज[1]	ब्याज की राशि जिसका भुगतान किया गया
2.	मुख्यशीर्ष 8121-130 के अन्तर्गत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)	87.92	एस डी आर एफ के समान ही	0.15	-
योग		*90.19*		*5.43*	-

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार की वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 ।

चालू वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 5.43 करोड़ के बदले किसी ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया। ₹ 5.43 करोड़ के कम भुगतान ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक प्रभावित किया।

4.1.2 राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को अंतरित करती है। इन अंतरणों को वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पी एफ एम एस) पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड में 499 क्रियान्वयन एजेंसियों को 146 योजनाओं के अंतर्गत सीधे ₹ 4,127.98 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण वर्ष 2022-23 में ₹ 4,335.37 करोड़ से 4.78 *प्रतिशत* कम हो कर वर्ष 2023-24 में ₹ 4,127.98 करोड़ हो गया। 146 योजनाओं में से, नौ योजनाएँ ऐसी थीं जिनके अन्तर्गत क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 50 करोड़ से अधिक निधियाँ प्राप्त हुई जो वर्ष के दौरान हस्तान्तरित कुल धनराशि का 95.79 *प्रतिशत* (₹ 3,954.20 करोड़) थी। विवरण, नीचे **तालिका-4.2** में दिया गया है।

तालिका-4.2: क्रियान्वयन एजेंसियां जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान सीधे भारत सरकार से निधियाँ (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की गई निधि
1.	जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन,देहरादून	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तराखण्ड, हिमालयन पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं विकास संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, उत्तराखण्ड, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस	1,892.06

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान हस्तांतरित की गई निधि
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	724.39
3.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	508.69
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	390.00
5.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	138.63
6.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	हेडे कम्युनिकेशन, हिलवेज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम इत्यादि	101.75
7.	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता अनुसंधान और कौशल विकास।	जी बी पंत राष्टीय हिमालयन, पर्यावरण एवं विकास संस्थान	77.65
8.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड	60.82
9.	आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई)	अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना	60.21
योग			***3,954.20***

क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तांतरित समग्र धनराशि का विवरण **तालिका-4.3** में दर्शाया है।

तालिका-4.3: क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधा हस्तांतरण	2021-22	2022-23	2023-24
हस्तांतरित निधियाँ *(₹ करोड़ में)*	4,825.65	4,335.37	4,127.98

4.1.3 स्थानीय निधियों का जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (धारा 40, 80 और 119) में, पंचायत निकायों की निधि को सरकारी खजाने और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर में रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (धारा 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, भी नगर निगम निधि (यू एल बी के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखने का प्रावधान करता है। वित्त लेखों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नगरपालिका निधि के अन्तर्गत लेन-देन हुए थे, नीचे **तालिका-4.4** में वर्णित है।

तालिका-4.4: स्थानीय निधियों का जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**
	***प्रतिशत* उपयोगिता**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
नगरपालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	340.59	441.61	495.41	211.56	235.01
	प्राप्ति	835.76	941.81	660.00	906.40	1148.62
	व्यय	734.74	888.01	943.86	882.95	977.06
	अंतिम शेष	**441.61**	**495.41**	**211.56**	**235.01**	**406.57**
	***प्रतिशत* उपयोगिता**	***62.46***	***64.19***	***81.69***	***78.98***	***70.62***

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2023-24.

जैसा ऊपर दी गई **तालिका-4.4** से स्पष्ट है, ये निधियाँ सरकारी कोषागार में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत निकाय निधि आरम्भ से ही लगभग निष्क्रिय रही है। हालाँकि, नगरपालिका निधि प्रचालन में है और 31 मार्च 2024 तक इसमें ₹ 406.57 करोड़ का संचित शेष था।

4.2 पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण

4.2.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब[2]

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के नियम 369-(डी)(एफ) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्रदान किए गए सशर्त अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र इस रुप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 3604 से संबन्धित वस्तु शीर्ष 56 और 69 के अन्तर्गत केवल उन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को म ले (लेखा एवं हकदारी) द्वारा देखा जाता है जिसमें स्वीकृति आदेश विशेष में उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र देखने का विशेष प्रावधान है।

[2] 2023-24 से संबंधित ₹ 3,633.33 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता = ₹ 538.99 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त अन्य अनुदान ₹ 3,094.34 करोड़) के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति अनुदान नियंत्रण अधिकारियों से प्रतीक्षित थी।

मार्च 2024 तक ₹ 3,410.64 करोड़ के कुल 432 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में वर्ष-वार स्थिति को **तालिका-4.5** में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.5: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में वर्ष-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2021-22	457	1,888.97	301	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00
2022-23	622	2,571.00	268	1,383.06	354	1,706.67	536	2,247.39
2023-24	536	2,247.39	222*	2,014.96	326	851.71	432	3,410.64

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

**** उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया हो, 2023-24 के दौरान आहरित सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र जो केवल 2024-25 में देय होंगे।***

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2024 तक जमा हेतु देय 210 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिनके संबंध में विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2023 तक ₹ 1,395.68 करोड़ की अनुदान राशि दी गई थी। 210 लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 628.86 करोड़ की धनराशि वाले 55 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 अगस्त 2024 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय-वार विवरण नीचे **तालिका-4.6** में दिया गया है।

तालिका-4.6: 31 मार्च 2024 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का समय-वार विवरण

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान विभागाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु देय है	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
2022-23	04	120.72
2023-24	206	1274.96
योग	**210**	**1395.68**

31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबन्धित ₹ 483.55 करोड़ और राज्य योजनाओं से संबन्धित ₹ 912.13 करोड़ की राशि शामिल है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के न होने से, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा हुआ था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और अवगत कि संबंधित विभागों को यथाशीघ्र महालेखाकार (ले एवं हक) को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

चार्ट-4.1: 31 मार्च 2024 तक विभाग वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

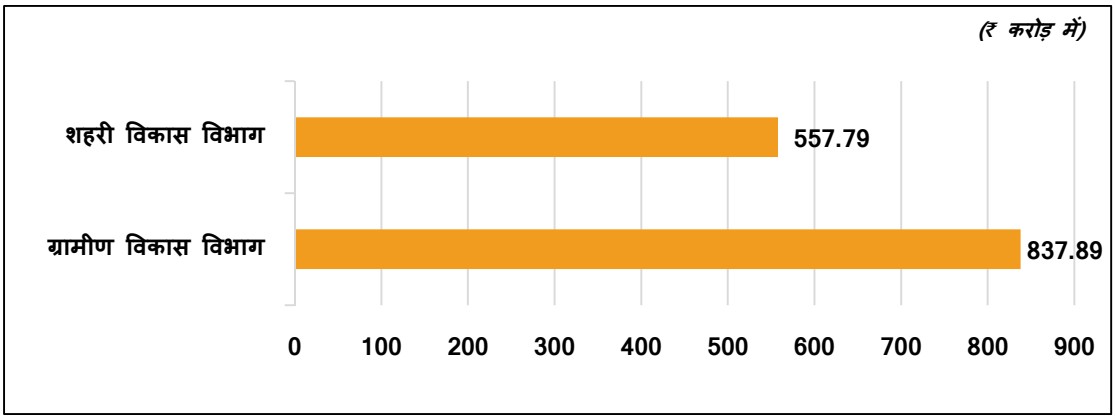

उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त, नीचे **तालिका-4.7** में वर्णित सहायता अनुदान भी विभिन्न संस्थानों को दिए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों को उक्त अनुदानों के उपयोग/अंतिम उपयोग पर नजर रखनी थी। नियंत्रण अधिकारियों ने उक्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत नहीं की है।

तालिका-4.7: सहायता अनुदान (यू एल बी/पी आर आई के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	05	वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान	1,179.53	1,181.65	1,391.96	1,352.41
2.	55	पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान	-	706.10	450.47	538.99
3.	56	वेतन के अतिरिक्त सहायता अनुदान	34,09.34	3,312.13	4,747.80	3,094.34[3]
योग			***4,588.87***	***5,199.88***	***6,590.23***	***4,985.74***

उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) सरकारी निधि प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण जवाबदेही दस्तावेजों के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आवंटित धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। ये प्रमाणपत्र वित्तीय पारदर्शिता के लिए आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक

[3] मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 56 से संबंधित ₹ 220.02 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो तालिका-4.5 में शामिल है।

संसाधनों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से खर्च किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एस ए एस सी आई) के संबंध में अवास्तविक यू सी जमा करने के मामले संज्ञान में आए।

4.2.2 सार आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक शुल्क का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं हैं, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों पर किया जाता है। वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड V) भाग I के पैरा 183 के अनुसार, भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक शुल्क के प्रकरण में, कार्यालय प्रमुख द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिल नियंत्रण अधिकारी को अथवा यदि जहाँ कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को अगले माह के अंत तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सहायक डी सी सी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से ए सी बिलों के माध्यम से व्यय अस्पष्ट हो जाता है।

वर्ष 2023-24 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण **तालिका-4.8** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.8: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2021-22 तक	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33
2022-23	243	27.33	271	8.97	440	24.94	74	11.36
2023-24	74	11.36	306	17.56	216	11.00	164	17.92

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना।

तालिका-4.8 से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 17.56 करोड़ की धनराशि के लिए 306 ए सी बिल आहरित किए गए तथा वर्ष के दौरान ₹ 11.00 करोड़ की धनराशि के लिये 216 डी सी सी बिलों को प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ के 164 ए सी बिल बकाया थे। बकाया 164 डी सी सी बिलों में 17 बिल ₹ 6.96 करोड़ वर्ष 2021-22 से तथा दस बिल ₹ 0.09 करोड़ वर्ष 2022-23 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2024 तक ₹ 0.40 करोड़ की धन के 26 डी सी सी

बिल प्राप्त हुए जिसमें वर्ष 2022-23 का एक डी सी सी बिल[4] तथा वर्ष 2023-24 के ₹ 0.39 करोड़ (₹ 10.87 करोड़ में से) के 25 डी सी सी बिल शामिल थे।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति **चार्ट-4.2** में दी गई है।

चार्ट-4.2: बकाया डी सी सी बिल

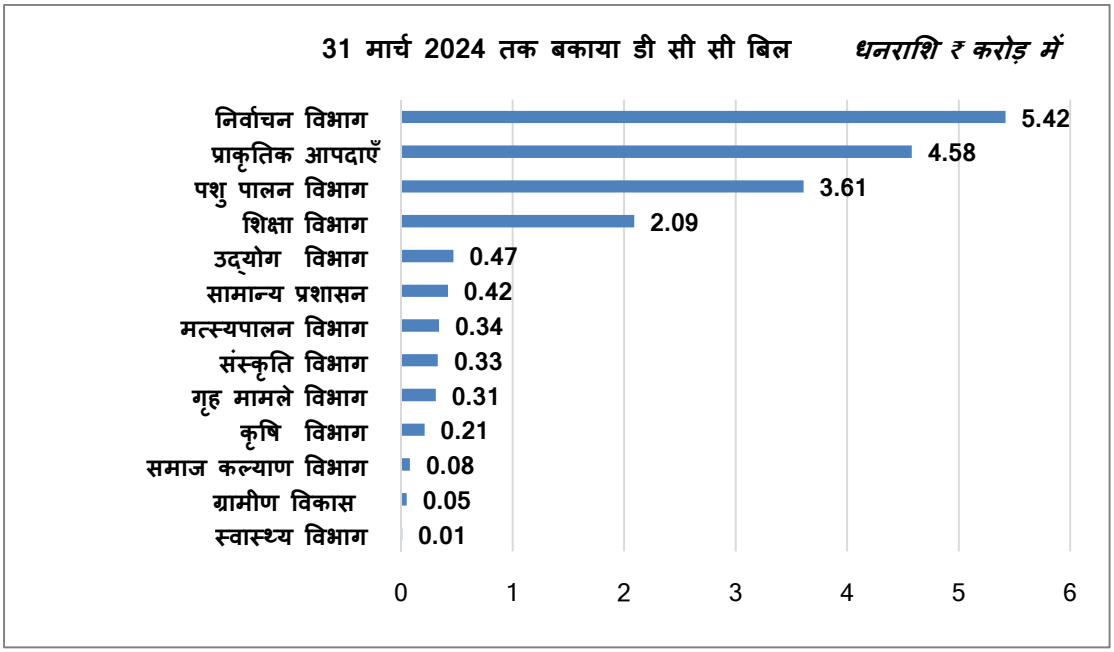

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, डी सी सी बिलों की गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों से सहमति व्यक्त की और सूचित किया कि शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2.3 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित बैंक खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

सामान्य व्यय पूर्ण तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों पर होता है जो सामग्री की प्राप्ति या संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, कोषागार से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नामित बैंक खाते या कार्यदायी संस्थाओं के खाते

[4] वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 4,876.00 की धनराशि के एक डीसीसी बिल को 31 अगस्त 2024 तक मंजूरी दे दी गई थी।

में निधियों का हस्तांतरण काल्पनिक व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए सार आकस्मिक बिलों और सहायता अनुदान बिलों के समान कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। अभी तक सरकारी लेखा प्रणाली में ऐसे लेन-देन की पहचान करने और चिह्नित करने के लिए कोई जाँच बिन्दु नहीं है। नीचे दी गई **तालिका-4.9** में विवरण दिया गया है।

तालिका-4.9: आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नामित खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24
आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नामित बैंक खातों में हस्तांतरित	1341.28
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	5,032.99
योग	**6,374.27**

स्रोत- वित लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 और लेखापरीक्षा द्वारा आई एफ एम एस डेटाबेस से संगणित।

पाँच सी सी ओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी डी ओ) के नामित बैंक खातों में कुल हस्तांतरित धनराशि (₹ 1,341.28 करोड़) में से, 31 मार्च 2024 तक नौ डी डी ओ के नामित बैंक खातों में ₹ 177.06 करोड़ अभी तक अव्ययित पड़े थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि डी डी ओ के नामित बैंक खातों में हस्तांतरित निधियों के उपयोग की निगरानी की जाएगी और निधियों के ऐसे हस्तांतरण की निगरानी के लिए आई एफ एम एस में उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा।

4.2.4 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340 (अ) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करते है। हालांकि, निधियों का आहरण तभी किया जायेगा जब तत्काल भुगतान हेतु आवश्यकता हो और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से निधियों के आहरण की पद्धति वर्जित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 131.80 करोड़ की धनराशि के 25 व्यक्तिगत जमा खातों को बंद कर दिया गया और धनराशि को राज्य की संचित निधि में समायोजित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति **तालिका-4.10** में दी गई है।

तालिका-4.10: वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद/आहरण		31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
25	129.28	0	0.05	25	131.80	00	(-) 2.47

स्रोत: एन टी एफ ए 2023-24 ।

वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 2.47 करोड़ का नकारात्मक शेष समाधान की प्रक्रिया में था।

4.2.5 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में प्रचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित प्रचालन को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अस्पष्ट बनाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 29 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,874.32 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 58,255.75 करोड़) का 4.93 *प्रतिशत* है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 47 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹1,339.13 करोड़[5], जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 50,615.01 करोड़) का 2.65 *प्रतिशत* (पेंशन प्रभाजन के 2.98 *प्रतिशत* को छोड़कर) है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इस बीच, पिछले दस वर्षों में लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत व्यय के वर्गीकरण में तेजी से कमी आई है। 2011-12 में, व्यय का 26.50 *प्रतिशत* लघु शीर्ष 800-`अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जबकि 2023-24 में यह घटकर कुल व्यय का 4.93 *प्रतिशत* हो गया है। इसी तरह, 2011-12 में कुल प्राप्तियों का 9.25 *प्रतिशत*

[5] वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के प्रभाजन के रूप में ₹ 1,510.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 2.98 *प्रतिशत*) को 2023-24 के दौरान 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत बुक किया गया है।

लघु शीर्ष 800-`अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 में यह कुल प्राप्तियों का 2.65 *प्रतिशत* (पेंशन प्रभाजन के 2.98 *प्रतिशत* को छोड़कर) पर आ गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' और लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों (₹ 20 करोड़ से अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण **तालिका-4.11** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.11: उप शीर्ष स्तर पर लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय का विवरण
(₹ 20 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"						**"800-अन्य व्यय"**			
क्र. सं.	**मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष**	**उप शीर्ष**	**धनराशि**	**अनुदान**	**मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष**	**उप शीर्ष**	**धनराशि**
1	0039	800	00	153.63	12	2210	800	11	55.38
2	0039	800	05	38.96	18	2425	800	31	60.00
3	0039	800	06	21.41	03	4059	800	02	59.87
4	0041	800	00	79.09	07	4059	800	01	1953.88
5	0049	800	12	40.90	07	4059	800	17	34.35
6	0059	800	99	59.52	07	4059	800	19	34.21
7	0070	800	06	64.84	07	4216	800	03	51.13
8	0235	800	01	87.86	13	4216	800	02	151.13
9	0406	800	01	23.34	30	4225	800	03	37.61
10	0406	800	03	119.91	15	4235	800	04	24.15
11	0425	800	03	61.62	17	4401	800	98	22.20
12	0801	800	01	30.91	20	4702	800	98	40.84
13	0801	800	03	159.67	21	4801	800	97	90.00
14	0851	800	02	31.85					
15	0853	800	01	22.38					
16	1055	800	01	50.03					
17	1055	800	02	24.01					
योग				***1069.93***	***योग***				***2614.75***

ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण धन राशि (20 *प्रतिशत* या अधिक और रुपये पाँच करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, **तालिका-4.12** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.12: वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष `800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अन्तर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज	व्यय की प्रतिशतता
1.	0029- भू-राजस्व	13.92	7.33	52.66	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15.30	13.20	*86.27*
2.	0049- ब्याज प्राप्तियाँ	125.76	65.90	52.40	2425- सहकारिता	130.97	83.34	*63.63*
3.	0055- पुलिस	43.58	13.50	30.98	2810- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	37.28	9.91	*26.58*
4.	0059- लोक निर्माण	81.02	74.08	91.43	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2,296.86	2,082.33	*90.66*
5.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	119.46	83.37	69.79	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	263.85	228.69	86.67
6.	0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	105.60	105.60	100.00	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	95.05	65.50	*68.91*
7.	0401- फसल कृषि	8.05	6.03	74.91	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	163.99	40.84	24.90
8.	0406- वानिकी और वन्यजीव	551.53	158.98	28.83	4859- दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	40.46	12.02	*29.71*
9.	0425- सहकारिता	64.82	64.82	100.00				
10.	0701- मध्यम सिंचाई	11.81	5.66	47.93	-	-	-	-
11.	0801- विद्युत	205.64	205.64	100.00				
12.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	32.21	31.91	99.07	-	-	-	-
13.	1055- सड़क परिवहन	74.03	74.03	100.00	-	-	-	-
14.	1452- पर्यटन	16.36	16.36	100.00	-	-	-	-
15.	1456- नागरिक आपूर्ति	9.30	9.30	100.00	-	-	-	-
योग		***1,463.09***	***922.51***	***63.05***	***योग***	***3,043.76***	***2,535.83***	***83.31***

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार 2023-24 के वित्त लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, सामाजिक कल्याण, वन, सहकारिता, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और नागरिक आपूर्ति विभागों के 15 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 63.05 *प्रतिशत* '800-अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, सहकारिता, ऊर्जा, लोक निर्माण, आवास, अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई और दूरसंचार विभाग से संबन्धित आठ

मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 83.31 *प्रतिशत* '800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/निष्पक्षता को प्रभावित करता है और व्यय की आवंटन प्राथमिकताओं और गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि महालेखाकार (ले एवं हक) के परामर्श से उचित कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में लघु शीर्ष-800 के प्रचालन की सीमा **चार्ट-4.3** और **चार्ट-4.4** में दी गई है।

चार्ट-4.3: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

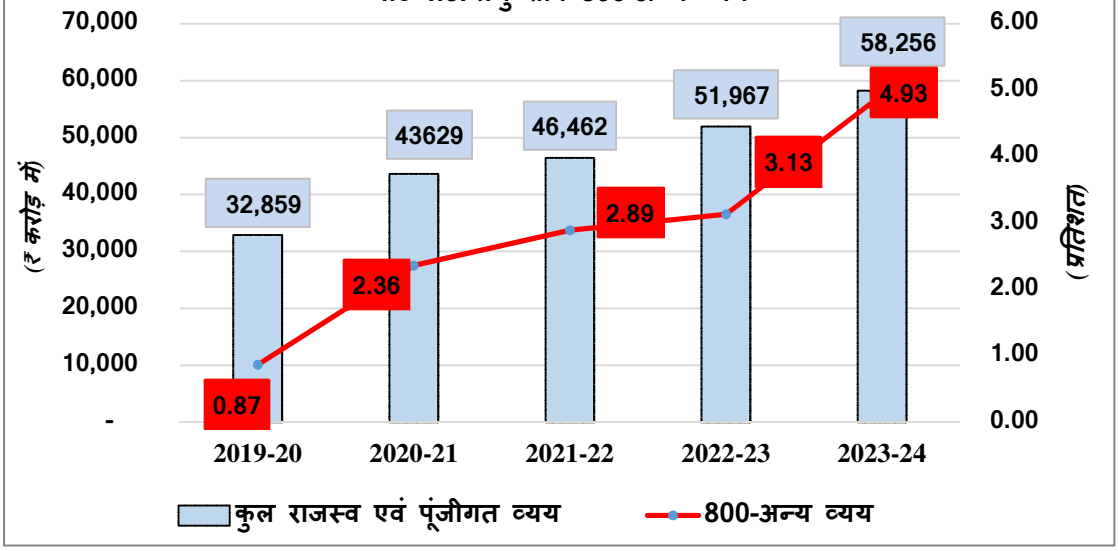

चार्ट-4.4: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

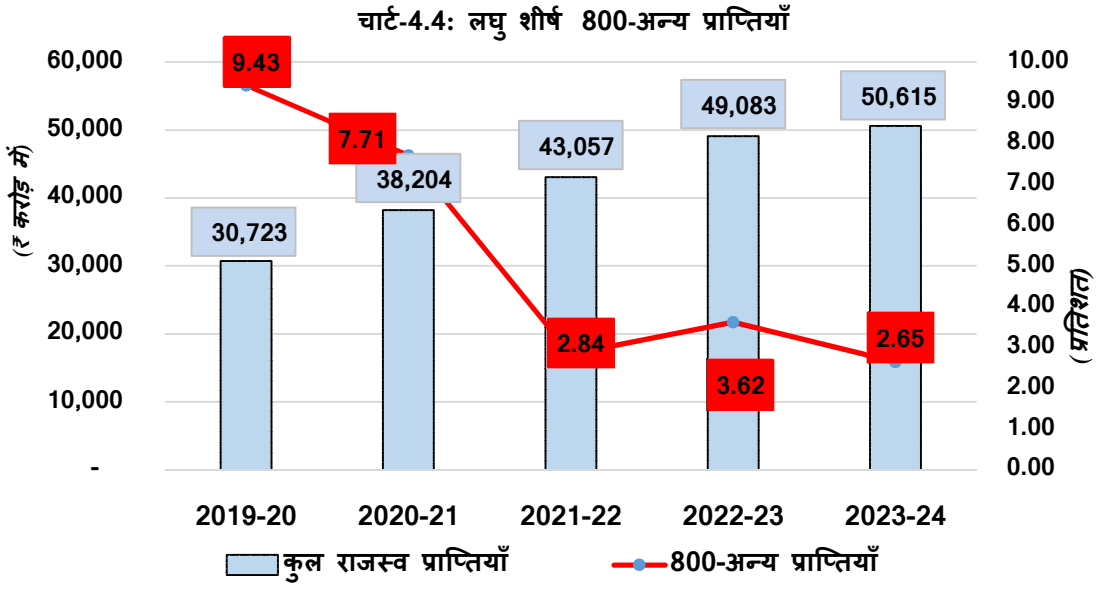

4.3 माप संबंधी प्रकरण

4.3.1 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेष

क) उचन्त एवं प्रेषण शेष

नीचे दी गई तालिका मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त खाते के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट शेष के लेन-देन की प्रकृति दर्शाती है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय केंद्र सरकार की ओर से भुगतान करते हैं।	जब केंद्र सरकार का वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य सरकार की ओर से भुगतान करता है।
102- उचन्त लेखे (सिविल)	भुगतान/नकद खातों की ट्रेजरी सूचियों और उसके साथ जुड़े भुगतान/प्राप्तियों की सूचियों के आंकड़ों के बीच पाए गए अंतर को शामिल करने के लिए महालेखाकार की बहियों में प्रचालित किया जाता है।	इस उप-शीर्ष के अन्तर्गत शुरू में रखी गई धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और संबंधित खातों के मुख्य शीर्षों में ले जाया जाएगा जब कोषाधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरण/अनुसूची की प्राप्ति पर मतभेदों का निपटारा किया जाता है।
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	इस लघु शीर्ष का उपयोग एक ही महालेखाकार को लेखे प्रदान करने वाले लोक निर्माण मण्डलों के बीच निपटान या लेनदेन के लिए किया जाएगा।	जब एक लोक निर्माण मण्डल राज्य सरकार के दूसरे मण्डल को सामग्री देता है।
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	परामर्श (सूचना) प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय लेखा कार्यालय, नागपुर, राज्य सरकार के शेष को डेबिट करता है और संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय को सूचित करते हुए केंद्र सरकार को क्रेडिट करता है।	इस लघु शीर्ष का उपयोग प्रधान लेखा कार्यालय आदि द्वारा आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को परामर्श देते समय केंद्र सरकार (सिविल) के शेष से राज्य सरकार के शेष में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त	जब लेखा प्राधिकारी (म ले उत्तराखण्ड) केंद्र सरकार को भुगतान करेगा।	जब आयकर के अनुसार टी डी एस उत्तराखण्ड सरकार के डी डी ओ द्वारा काटा जाता है।
113- भविष्य निधि उचन्त	मूल लेन-देन का पता लगाने पर यह शीर्ष स्पष्ट हो जाता है।	जब मूल लेन-देन का पता चलने तक जी पी एफ अभिदाता को क्रेडिट या डेबिट दिया जाता है।
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आरबीआई से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों को सबसे पहले इस लघु शीर्ष में डेबिट किया जाना चाहिए।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आर बी आई से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान सबसे पहले इस लघु शीर्ष में क्रेडिट किए जाने चाहिए।
123- अखिल भारतीय सेवा (अ भा से) अधिकारी समूह बीमा योजना	राज्य संवर्ग के ए आई एस अधिकारियों को केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए किए गए भुगतान को इस	केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए राज्य संवर्ग के अ भा से अधिकारियों से की गयी कटौती/

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
	उप शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।	वसूली को उपशीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
129- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	यह लघु शीर्ष उन मामलों में भंडारों की सीधी खरीद के लिए संचालित किया जाएगा जहां भुगतान उसी महीने में नहीं किया गया है जिसमें भंडार प्राप्त हुए हैं।	जब राज्य सरकार के एक लोक निर्माण प्रभाग/कार्यालय ने भारत सरकार के पूर्ववर्ती आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के माध्यम से सामग्री की खरीद की। 1993 के बाद से ऐसे लेन-देन होना बंद हो गए हैं।
102- लोक निर्माण प्रेषण 103- वन प्रेषण	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग कोषागार में धन जमा करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग कोषागार के माध्यम से कोई भुगतान करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	जब अन्य राज्यों के पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन हेतु भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त होता है।	जब उत्तराखण्ड सरकार अन्य राज्यों के पेंशनरों को भुगतान करती है।

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/ निर्माण और वन मण्डल आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति **तालिका-4.13** में दी गई है।

तालिका-4.13: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उचन्त लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	189.51	89.34	331.63	186.11	437.39	288.83
निवल	**(डेबिट)100.17**		**(डेबिट) 145.52**		**(डेबिट) 148.56**	
102- उचन्त लेखे (सिविल)	289.18	386.82	295.03	392.38	289.06	301.28
निवल	**(क्रेडिट) 97.64**		**(क्रेडिट) 97.35**		**(क्रेडिट) 12.22**	
107-नकद निपटान उचन्त लेखे	99.71	0.26	1233.79	1133.42	2,777.12	2,664.64
निवल	**(डेबिट) 99.45**		**(डेबिट) 100.37**		**(डेबिट) 112.48**	
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	221.31	219.61	224.32	219.61	214.67	219.61
निवल	**(डेबिट) 1.70**		**(डेबिट) 4.71**		**(क्रेडिट) 4.94**	

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त	28.03	267.44	28.03	330.23	28.03	253.28
निवल	**(क्रेडिट) 239.41**		**(क्रेडिट) 302.20**		**(क्रेडिट) 225.25**	
113- भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट) 2.21**	
123- आई ए एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.34	0.61	0.36	0.64	0.40	0.67
निवल	**(क्रेडिट) 0.27**		**(क्रेडिट) 0.28**		**(क्रेडिट) 0.27**	
129-- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
निवल	**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण और समायोजन						
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.70	296.45	372.70	296.46	372.75
निवल	**(क्रेडिट) 76.57**		**(क्रेडिट) 76.24**		**(क्रेडिट) 76.29**	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**	
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	2083.81	2015.19	2067.53	2016.45	2,072.27	2,018.61
	(डेबिट) 68.62		**(डेबिट) 51.08**		**(डेबिट) 53.66**	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2023-24।

उचन्त के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण पर नीचे चर्चा की गई है:

वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) तथा 112- स्रोत स्तर पर कटौती (टी डी एस) उचन्त के अन्तर्गत उचन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत है:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालयों व राज्यों के महालेखाकार (ले एवं हक) के अन्तर्गत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेन-देन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत विगत वर्ष के अंत में ₹ 145.52 करोड़ के डेबिट शेष के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2024) ₹ 148.56 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियाँ 39.77 *प्रतिशत* और संवितरण 60.23 *प्रतिशत* रहीं। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है।

उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102**):** ऐसे लेन-देन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/ दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखा के अन्तिम शीर्ष लेखो में नहीं ले जाया जा सकता, उन्हें प्रारम्भ में इस उचन्त शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 289.06 करोड़ (48.97 *प्रतिशत*) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 301.28 करोड़ (51.03 *प्रतिशत*) की राशि को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2022-23 के क्रेडिट शेष ₹ 97.35 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक ₹ 12.22 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के आधार पर प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 253.28 करोड़ (90.04 *प्रतिशत*) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (9.96 *प्रतिशत*) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2024 तक आई टी विभाग को ₹ 225.25 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गई थी। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2022-23 (₹ 302.20 करोड़) की तुलना में कम था।

ख) मुख्य शीर्ष चेक और बिल (मुख्य शीर्ष 8670)

इस शीर्ष का उपयोग चेक जारी करने और उसके बाद उनके नकदीकरण से संबंधित लेन-देन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आर बी आई की ई-भुगतान प्रणाली (ई-कुबेर) के कार्यान्वयन के साथ इस शीर्ष का उपयोग ई-भुगतान सूचना और अनुवर्ती निकासी को दर्ज करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के अन्तर्गत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए है परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष ₹ 64.31 करोड़ (क्रेडिट) था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 54,799.15 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष उस वर्ष के दौरान ₹ 54,779.39 करोड़ के चेक का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष ₹ 84.07 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरुप उत्तराखण्ड सरकार से 31 मार्च 2024 तक कोई नकद निकासी नहीं हुई है।

ग) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (के स एवं अव नि)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। मौजूदा लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के अन्र्तगत लोक लेखा में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के स एवं अव नि के अन्तर्गत निर्धारित सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के अन्तर्गत लेखांकित किया जाएगा और लोक लेखा से इसकी प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 8449 के अन्तर्गत संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में 'कटौती व्यय' के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 109.70 करोड़ जारी किए। तथापि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के अन्तर्गत कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के अन्तर्गत ₹ 263.26 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से मुख्य शीर्ष 1601-08-108 अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त राशि से ₹ 153.56 करोड़ अधिक था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 109.70 करोड़ अधिक और राजकोषीय घाटे को ₹ 153.56 करोड़ अधिक बताया गया। केन्द्रीय सड़क निधि के गैर लेखांकन के कारण केन्द्रीय सड़क निधि हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग में अस्पष्टता है।

घ) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋणात्मक शेष निम्न **तालिका-4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.14: मुख्य शीर्ष 6801, 6851, 7610, 8009, 8010, 8011, 8229, 8443, 8448, 8671 और 8672 के अंतर्गत आने वाले ऋणात्मक शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6801	विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण	(-) 168.84
6851	लघु उद्योग	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-) 21.87
8009	अंशदायी भविष्य पेंशन निधि	(-) 5.11
8010	अन्य ट्रस्ट	(-) 0.31
8011	बीमा तथा पेंशन निधि	(-) 100.90
8229	विद्युत विकास निधि	(-) 36.48
8443	सिविल जमा	(-) 22.98
8448	स्थानीय निधियों का जमा	(-) 14.41
8671	विभागीय शेष	(-) 10.71
8672	स्थायी नकद अग्रदाय	(-) 0.81

स्रोत: वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ 2023-24 ।

मुख्य शीर्ष 6801 और 8009 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष का कारण, गलत वर्गीकरण है। मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए ऋणों और उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई वसूली के कारण है। मुख्य शीर्ष 8010 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष उत्तराखंड राज्य के विभाजन के बाद से है। मुख्य शीर्ष 8011 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष का कारण ब्याज का भुगतान न करना और प्राप्तियों पर अधिक भुगतान है और मुख्य शीर्ष 8229 के अन्तर्गत यह वर्ष 2014-15 के दौरान अधिक व्यय के कारण है। मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बीच अभी भी लंबित आबंटन के कारण है। मुख्य शीर्ष 8671 और 8672 के अंतर्गत प्रतिकूल शेष का कारण कार्य प्रभागों के लेखांकन में परिवर्तन के कारण इन शीर्षों का प्रचालन नहीं होना है। इन प्रतिकूल शेष राशियों की समीक्षा की जा रही है।

4.3.2 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और व्यय का मिलान कराना आवश्यक है। इसका उदेश्य नियंत्रण अधिकारी को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उनके बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) (49 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से तथा 13 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से और 03 मु नि अ द्वारा शून्य) के द्वारा मिलान किया गया। 62 मु नि अ में से ₹ 50,789.27 करोड़ (कुल व्यय ₹ 58,379.85 करोड़ का 87.00 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया। इसके अतिरिक्त, प्राप्तियों के संबंध में, 48 मु नि अ में से, 45 मु नि अ द्वारा (33 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से और 12 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से) मिलान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 48,128.07 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का (कुल प्राप्तियों ₹ 50,630.83 करोड़ का 95.06 प्रतिशत) मिलान किया गया।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट-4.5** में दिखाया गया है।

चार्ट-4.5: विगत तीन वर्षों के दौरान समायोजित व्यय की स्थिति *(₹ करोड़ में)*

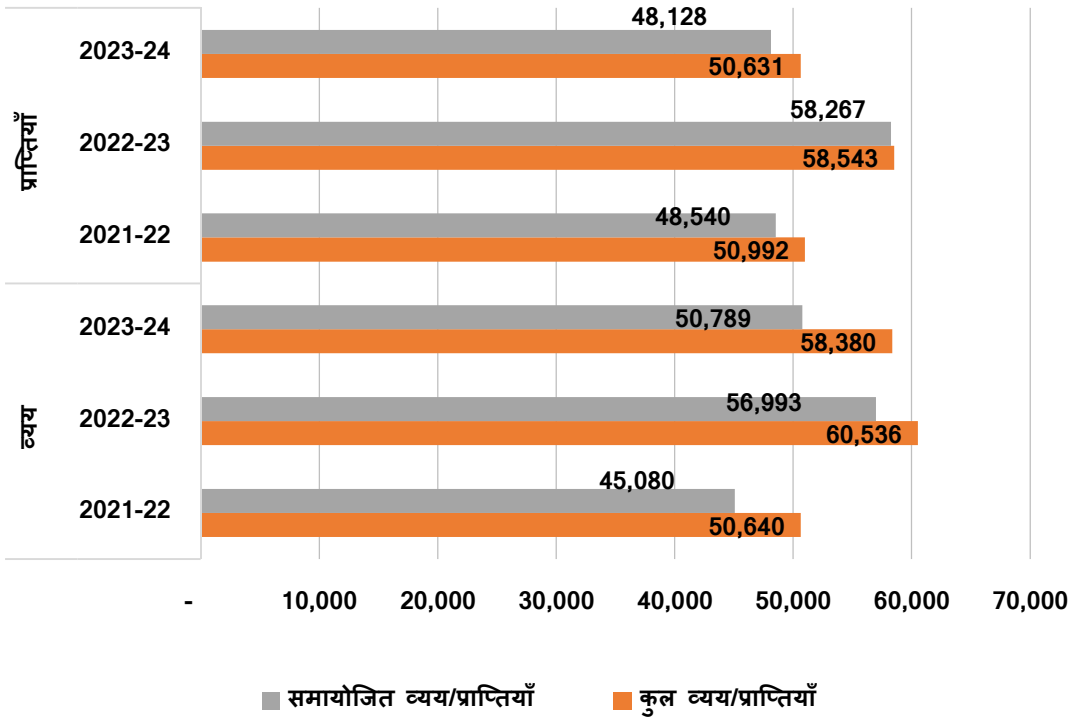

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा **तालिका-4.15** में दिया गया है।

तालिका-4.15: प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/ व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
प्राप्तियाँ							
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	*95.19*
2022-23	48	37	07	04	58,542.90	58,266.57	*99.53*
2023-24	48	33	12	03	50,630.83	48,128.07	*95.06*
व्यय							
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	*89.02*
2022-23	62	56	06	00	60,535.64	56,992.72	*94.15*
2023-24	62	49	13	00	58,379.85	50,789.27	*87.00*

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2023-24 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।

मिलान और आंकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय गलत दर्ज होते है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2023-24 में 87.00 *प्रतिशत* था, जबकि 2022-23 में यह 94.15 *प्रतिशत* था।

4.3.3 नकद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2024 का नकद शेष ₹ 102.34[6] करोड़ (क्रेडिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 6.34 करोड़ (डेबिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा गणना किए गए नकद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच ₹ 96.00 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतः लंबित मिलान के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि उक्त मिलान के लिए प्रकरण आर बी आई और कोषागारों के पास विचाराधीन था।

4.4 प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण

4.4.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, तीन भारत सरकार के लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखांकन मानकों के अनुपालन का विवरण **तालिका-4.16** में विस्तृत है।

[6] एन पी एस राशि को एन एस डी एल में हस्तांतरित न करने के कारण नकद शेष ₹ 98.09 करोड़ अधिक बताई गई है।

तालिका-4.16: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई जी ए एस-1:** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां*	इस मानक के अन्तर्गत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अत: यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	**आई जी ए एस-2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान की प्रकृति और प्रकार (चाहे टी एस पी/ एस सी एस पी/ सामान्य/ एफ सी /ई ए पी) की जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 का अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है।

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	**आई जी ए एस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्याँकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय उन ऋणों के, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

4.4.2 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए उसके पास ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं और उनके पास ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिये उस निकाय अथवा प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। प्राधिकरणों के लेखों के बकायों का विवरण **तालिका-4.17** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.17: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2020-21	04
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2023-24	01
3.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अर्ध-न्यायिक निकाय)	2023-24	01

तालिका-4.17 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकरणों के लेखे एक से चार वर्ष तक लंबित हैं।

4.4.3 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिनकी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, सरकार/विभागीय प्रमुखों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध कराना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त,लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदानों और/या ऋणों की स्वीकृति देते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान अथवा ऋण में ₹10 लाख अथवा उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो।

हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों ने वेतन भत्ते और अन्य व्यय (वस्तु शीर्ष 05) के लिए सहायता अनुदान पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन से इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) दिया था जो क्रमशः ₹ 1,352.41 करोड़, ₹ 538.99 करोड़ और ₹ 3,314.36 करोड़ था।

4.4.4 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

वर्ष 2023-24 के दौरान समस्त लेखा प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन मण्डल और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करती हैं, ने समय पर अपने लेखों को प्रस्तुत किया था और अपवर्जन का कोई प्रकरण नहीं था।

4.5 अन्य प्रकरण

4.5.1 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार, डी डी ओ से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना आपेक्षित है। वर्ष 2023-24 के दौरान डी डी ओ द्वारा दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

4.5.2 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उनके तैयार किये जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

4.6 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2023 तक दिये गए ₹ 1,395.68 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 210 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2024 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ राशि के 164 सार आकस्मिक बिल

बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को इंगित करता हैं।

- राज्य सरकार ने सी आर आई एफ की लेखांकन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 109.10 करोड़ और ₹ 153.56 करोड़ की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।
- वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमश: 95.06 और 87.00 *प्रतिशत* था।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत ₹ 2,874.32 करोड़ का व्यय और ₹ 1,339.13 करोड़[7] की प्राप्तियाँ दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के नियमित प्रचालन को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अस्पष्ट बनाता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में कमी आ रही है।

4.7 संस्तुतियाँ

- ***सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के सम्बन्ध में अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए;***
- ***सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के संबंध में लेखांकन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उचित लेखांकन किया गया है;***

[7] 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में ₹ 1,510.45 करोड़ को छोड़कर।

- ***सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आंकड़ों का मिलान करें;***
- ***राज्य सरकार को लघु शीर्ष 800 का प्रचालन बंद करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि लेखा बही में लेन-देन के सही वर्गीकरण हेतु उचित लेखा शीर्षों की पहचान की जाए; और***
- ***राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।***

देहरादून **(मो. परवेज़ आलम)**
दिनांक: 30 अप्रैल 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के संजय मूर्ति)**
दिनांक: 07 मई 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**